न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 98/98
दायरा तिथि : 01.07.1998
आदेश तिथि : 22.03.2018

प्रार्थीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. दशरथ लाल पुत्र शिवशंकरजी
जाति दवे ब्राहमण निवासी कोटबालियान तह0 बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. श्री हरिराम पुत्र अचलदास के कायम मुकाम वारिशानः
1/1 श्रीमति गीतादेवी धर्मपत्नि हरीराम
1/2 श्री अशोक पुत्र हरीराम
1/3 श्री सुरेश पुत्र हरीराम
1/4 श्री महेन्द्र पुत्र हरीराम
1/5 श्रीमति हेमुदेवी पुत्री हरीराम पत्नि प्रभूदासजी निवासी लुनावा
1/6 श्रीमति गायत्रीदेवी पुत्री हरीराम पत्नि गोविंदजी नि0 मुण्डारा
1/7 श्रीमति धनुदेवी पुत्री हरीराम पत्नि ईश्वरजी निवासी सादडी तह0 देसूरी
1/8 श्रीमति कंचनदेवी पुत्री हरीराम पत्नि सुखदेवजी नि0 मोरीबेडा
1/9 श्रीमति हर्षा पुत्री हरीराम पत्नि रमेशजी नि0 जोयला तह0 शिवगंज जिला सिरोही
2. सहायक अभियंता सिंचाई विभाग, बाली

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार, बाली	पैरोकार सरकार.
2. श्री अमृत परिहार	अभिभाषक प्रार्थी सं.–02 की और से
3. श्री प्रवीण भंडारी	अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–01 के कामु. अनुपस्थित।

–:: आदेश ::– दिनांक : 22.03.2018

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी सं.–02 द्वारा प्रस्तुत अभियावेदन तहसीलदार, बाली को जांच हेतु भिजवाये जाने पर प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने गत् एवं हाल रेकर्ड से जांच कर प्रतिवेदन पेश किया। अपने प्रतिवेदन में ग्राम कोट बालियान स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 211, 211 मी., 201/476 रकबा क्रमशः 2 बीघा 13 बिस्वा, 3 बीघा 01 बिस्वा एवं 5 बीघा भूमि सैटलमेंट पुर्व के अभिलेखो में हरीराम पुत्र अचलदास साद के नाम दर्ज होना तथा वर्तमान रेकर्ड के अनुसार नये खसरा नंबर 996 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 998 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 993 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 995 रकबा 0.53 हैक्टर एवं खसरा नंबर 999 रकबा 1.39 हैक्टर हरिराम पुत्र अचलदास साद के नाम दर्ज होना जाहिर किया। इस प्रकार हरिराम के नाम सैटलमेंट पुर्व के रेकर्ड में दर्ज खातेदारी के मुकाबले सैटलमेन्ट बाद के रेकर्ड में 1.07 हैक्टर बेशी रकबा दर्ज कर दिया जाने से बहैसियत भूमिधारी उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर बेशी रकबा को राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी तहसीलदार, बाली के आवेदन पत्र पर प्रकरण दिनांक 01.07.1998 को अप्रार्थी हरीराम के विरूद्व पंजिबद्ध करते हुये रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखने बाबत् आदेश पारित किये गये। दिनांक 08.07.1998 को सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, बाली द्वारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस प्रार्थना पत्र वकुलाय को सुनने के पश्चात् दिनांक 21.07.1998 को सिंचाई विभाग को प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संख्या–02 पक्षकार बनाये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये। प्रकरण के चलत प्रार्थी दशरथलाल की और से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार के माध्यम से प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस आवेदन पत्र पर वकुलाय को सुनने के पश्चात् दिनांक 25.03.2004 को दशरथलाल को प्रकरण में बतौर प्रार्थी संख्या–02 पक्षकार बनाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम की और से दिनांक 29.05.2001 को प्रार्थी के उक्त इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया। अपने जबाव में अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा ग्राम कोट बालियान स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 201/476 के नये खसरा नंबर 984, 987, 988, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005 बनना तथा गत्

पेज लगातार–2

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 98/98 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा बनाम हरीराम के कामु.श्रीमति गीतादेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

खसरा नंबर 201 के नये खसरा नंबर 998 होना स्वीकार किया, परन्तु पुराने खसरा नम्बर का रकबा रेकर्ड में अंकित नहीं होने से पुराने खसरा नंबर का रकबा कितना था यह प्रार्थना पत्र से साबित नहीं हैं। पुराने खसरा नंबर 201, 209 कान्ता पत्नि श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी कोटबालियान के नाम दर्ज था, जिसके नये खसरा नंबर 998 सव 996 हुये, जिस आराजी को खातेदार कान्ता ने अप्रार्थी हरीराम के पक्ष में वसीयत की। तथा बाद में सदर मुन्सीफ भूप्रबन्ध कार्यालय जोधपुर के आदेश दिनांक 2.3.84 के द्वारा अप्रार्थी हरीराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। पुराने खसरा नंबर 201, 211, 211 मी0, 201/476 भूमि पुर्व में राज्य सरकार द्वारा हरिसिंह पुत्र गुणेशजी जाति राजपुत निवासी कोटबालियान के पक्ष में नियमन/आवंटन की गई। आवंटी हरिसिंह को आवंटन शुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.12.1974 से अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम द्वारा खरीद किया गया। जिस पर हरीसिंह को किये गये आवंटन को निरस्त करवाने के लिये तहसीलदार बाली द्वारा एक आवेदन पत्र संख्या 6. 3.80 श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के पक्ष राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 11.2.1982 को खारिज किया गया। जिससे अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम को दिये गये खातेदारी अधिकार विधि सम्मत हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी हरीराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.11.74 को गोविन्दसिंह पुत्र मानसिंहजी, जाति दरोगा निवासी कोटबालियान तहसील से कोटबालियान में स्थित भूमि खसरा नंबर 211 भी खरीद किया था। जिसकी भी अपील तहसीलदार, बाली द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के यहाँ पर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 80 के तहत पेश की थी। जो अपील भी दिनांक 19.5.1982 को खारिज कर दी गई व गोविन्दसिंह के पक्ष में किये गये नियमन को बहाल रखा गया हैं। इन तमाम तथ्यो के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर साबित हैं कि अप्रार्थी संख्या–01 ने राजकीय सिवाय चक भूमि को अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कराया है। तहसीलदार, बाली के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा सरकारी भूमि को गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा दी हैं। जिससे प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बाली खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जबाव के समर्थन में अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य परिपत्र दिनांक 29.12.95 की प्रति, पर्चा लगान संख्या 291 की प्रति, पर्चा लगान सं0 48 की प्रति, प्रमाण पत्र दिनांक 10.7.84 की प्रति, खतौनी की प्रति जिसमें कांतिबाई से खरीद शुदा भूमि अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम के नाम दर्ज हुई, आदेश दिनांक 11.2.1982 की प्रति, आदेश दिनांक 19.5.82 की प्रति, खसरा मिलान क्षैत्रफल की प्रति, नक्शा ट्रेस नया की प्रति, नक्शा ट्रेस पुराना की प्रति, पर्चा भूप्रबन्ध विभाग की प्रति, नामान्तरकरण संख्या–331 की प्रतिया पेश की गई। प्रकरण के चलते अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम की मृत्यु होने से उनके कायम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस आवेदन पत्र को वकुलाय को सुनने के पश्चात् स्वीकार करते हुये दिनांक 10.10.2006 के आदेश से न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण में यद्यपि अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम द्वारा दिनांक 29.05.2001 को विस्तृत जबाव प्रस्तुत किया जाने के बावजुद अप्रार्थी संख्या–01 के कायम के अधिवक्ता को नैसृगिक न्याय के सिद्वान्तो अनुसार पुनः जबाव प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय/अवसर दिये गये। पर्याप्त समय/अवसर के बावजुद अप्रार्थी संख्या–01 के कायम के अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 13.05.2017 से पत्रावली बहस के लिये नियत की गई। बहस के लिये भी अप्रार्थी संख्या–01 के कायम मुकाम के अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी को कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद बहस के लिये तैयार नहीं हुये। अंततः दिनांक 20.03.2018 को बहस के लिये अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी को बहस के लिये बार–बार आवाजे दिलाने के बावजुद उपस्थित नहीं होने से तथा प्रकरण पुराना होने से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने का निर्णय लिया गया, तथा प्रकरण में उपस्थित प्रार्थी पेरोकार सरकार व वकील प्रार्थी संख्या–02 श्री अमृत परिहार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा जो जबाव पेश किया गया है, उस जबाव में अप्रार्थी संख्या–01 उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि को निम्नानुसार प्राप्त करना बताया गयाः–

क्र.स.	नाम व्यक्ति जिससे भूमि प्राप्त की गई	रकबा
01	कांता पत्नि मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी कोटबालियान	5 बीघा
02	हरीसिंह पुत्र गुणेशजी जाति राजपुत नि. कोटबालियान	11 बीघा 5 बिस्वा
03	गोविन्दसिंह पुत्र मानसिंह जाति रावणा राजपुत नि. कोटबालियान	ढाई बीघा 3 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
बाली

पेज लगातार––3

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 98/98 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा बनाम हरीराम के कामु.श्रीमति गीतादेवी वगैरा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अप्रार्थी हरीराम द्वारा जबाव में बताये अनुसार कुल 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि अर्जित की गई। जिसका रकबा हैक्टर प्रणाली अनुसार 3.11 हैक्टर के तूल्य भूमि होती हैं। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध भू0प्रबन्ध पश्चात् का रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार अप्रार्थी हरीराम के नाम कुल 5.10 हैक्टर भूमि अधिकार अभिलेखों में दर्ज हुई हैं। इस प्रकार अप्रार्थी के जबाव अनुसार भी 1.99 हैक्टर रकबा बेशी दर्ज होना पाया जाता हैं। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा गत् एवं हाल से जांच करने के पश्चात् जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके अनुसारः गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबरो में निम्नानुसार बेशी रकबा दर्ज करना बताया गयाः–

सैटलमेंट पुर्व के खातेदार	गत्खसरा नंबर व दर्ज रकबा			नये खसरा नंबर में दर्ज रकबा		बेशी दर्ज रकबा (हैक्टर में)
	खसरा नंबर	रकबा बीघा में	हैक्टर अनुसार बना रकबा	खसरा नंबर	रकबा	
कांताबाई के नाम की भूमि	201	3.06	0.53	998	0.80	0.27
सिवाय चक	202 203 201/476	0.01 0.01 5.01	0.82	999	1.39	0.57
हरिराम पुत्र अचलदास	211 211मी. 211मी.	2.13 3.00 3.001	1.39	995 996 994 993	0.53 0.33 0.02 0.96	0.45

इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपने प्रार्थना पत्र में हरीराम पुत्र अचलदास के नाम गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबरान् में कुल 1.29 हैक्टर बेशी दर्ज हो जाने से भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त कर ग्राम कोट बालियान के हाल खसरा नंबर 998, 999, 995, 996, 994, 993 मेंसे 1.29 हैक्टर भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने की मांग की गई हैं। अप्रार्थी सं–01 हरीराम द्वारा प्रस्तुत जबाव में भी इस तथ्य का खण्डन नहीं हो पाया हैं। अपितू प्रस्तुत जबाव एवं उसके संलग्न प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से तो 1.99 हैक्टर रकबा बेशी खातेदारी में दर्ज होना जाहिर हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् ग्राम कोट बालियान के गत् खसरा नंबर 201, 202, 203, 201/476, 211, 211 मी. कुल रकबा 2.74 हैक्टर से कायम नये खसरा नंबर 998, 999, 995, 996, 994, 993 में दर्ज कुल रकबा– 4.03 हैक्टंर अप्रार्थी संख्या–01 हरीराम पुत्र अचलदास साद के नाम दर्ज करने से अप्रार्थी हरीदास के खातेदारी में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा कुल 1.29 हैक्टर बेशी रकबा दर्ज किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थी सं0–01 हरीराम के नाम दर्ज बेशी रकबा 1.29 हैक्टर को दुरस्ती के माध्यम से राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान को भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस

आदेश आज दिनांक **22.03.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

Scanned by CamScanner